राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–स.3(16)(11)/विविध/अभि/14/10483-530 दिनांकः– 16/09/2020

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग(अनुभाग–1) की आज्ञा क्रमांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2018 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध को दिनांक 15.09.2020 से 31.10.2020 तक हटाया गया है । साथ ही निर्देश दिये गये है कि राज्य मे कोविड–19 की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण के लिए आवेदक का प्रार्थना–पत्र संबंधित विभाग की वेबसाईट/पोर्टल पर ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावे। इस बाबत कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि कोई भी आवेदक स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना–पत्र **व्यक्तिगत रुप से उपस्थित हो कर प्रस्तुत न करे** तथा अपना प्रार्थना–पत्र विभागीय ई–मेल prosecution@rajasthan.gov.in पर भिजवावे। कागजी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अब्दुल समद चिश्ती)
सहायक निदेशक अभियोजन (सत.),
राजस्थान जयपुर

1. अतिरिक्त निदेशक (अभियोजन सेवा)/(न्यायिक सेवा), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
2. उप निदेशक अभियोजन(मु.)/ सहायक निदेशक अभियोजन(मु.)/(सर्तकता), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त उप /सहायक निदेशक अभियोजन ,राजस्थान।
4. निजी सचिव, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी,अभियोजन विभाग, राजस्थान ।

16-9-2020
(अब्दुल समद चिश्ती)
सहायक निदेशक अभियोजन (सत.),
राजस्थान जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariate,
Jaipur(Rajasthan), Pin code: 302005
Phone & Fax: 0141-2227806
Email address: prosecution@rajasthan.gov.in